कार्यालय पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस-नोट

दिनांक- 15.12.2025

विषयः- थाना लंका पुलिस द्वारा गौ- तस्करी करते तीन अंतर्राज्यीय गौ तस्कर सरगना सहित गिरफ्तार, कब्जे से 4 राशि गोवंश एवं एक अदद पिकअप वाहन व एक अदद महेन्द्रा स्कार्पियो बिना नंबर के बरामद।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी महोदय द्वारा अपराधों की रोकथाम के मद्देनजर चोरी/लूट/अपहरण/सट्टेबाजी/जुआं की घटनाओ के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी व मादक पदार्थों की तस्करी के रोकथाम हेतु चलाये जा रहे आपरेशन चक्रव्यूह के तहत सघन चेकिंग अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त काशी जोन के निर्देशन में, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर व प्रभारी निरीक्षक थाना लंका के नेतृत्व थाना लंका पुलिस टीम द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर दिनांक 14.12.2025 को समय करीब 23.55 बजे लौटूबीर अण्डरपास से कुछ आगे मलहिया की तरफ आगे बढकर सर्विस लेन के पास से 04 राशि गोवंश जिसमे से 02 राशि गोवंश गाय व 02 राशि गोवंश बछडा, एक अदद पिकअप वाहन पिकअप महिन्द्रा,सफेद कलर, वाहन नम्बर UP 65 PT 8631 व एक अदद महेन्द्रा स्कार्पियो बरंग सफेद वाहन बिना नंबर के साथ 03 नफर अभियुक्तगण 1.अभिषेक यादव पुत्र भाईराम यादव नि0- मिसिरपुर थाना रोहनिया वाराणसी उम्र करीब 19 वर्ष 2. विजय यादव उर्फ टिल्लू पुत्र दयालू यादव नि0- छिमिया थाना मुगल सराय जिला चन्दौली उम्र करीब 23 वर्ष 3. मोहम्मद अफरोज शाह पुत्र मोहम्मद साहबजान नि0- सुल्तानपुर रामनगर थाना रामनगर वाराणसी उम्र करीब 26 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना लंका में मु0अ0सं0- 0521/2025 धारा- 3/5(A)/5(B)/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

सम्बन्धित अभियोग- मु0अ0सं0- 0521/2025 धारा 3/5(A)/5 (B)/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना लंका कमिश्नरेट वाराणसी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. अभिषेक यादव पुत्र भाईराम यादव नि0- मिसिरपुर थाना रोहनिया वाराणसी उम्र करीब 19 वर्ष।
2. विजय यादव उर्फ टिल्लू पुत्र दयालू यादव नि0- छिमिया थाना मुगल सराय जिला चन्दौली उम्र करीब 27 वर्ष
3. मोहम्मद अफरोज शाह पुत्र मोहम्मद साहबजान नि0- सुल्तानपुर रामनगर थाना रामनगर वाराणसी उम्र करीब 23 वर्ष।

अभियुक्त का पूछताछ विवरणः- पूछताछ करने पर अभिषेक यादव पुत्र भाईराम यादव नि0- मिसिरपुर थाना रोहनिया वाराणसी उम्र करीब 19 वर्ष बता रहा है कि पिकप में जो गाय व बछडे लदे है जिन्हे मैं, विजय यादव व मोहम्मद अफरोज शाह बिहार वध हेतु विक्रय करने के लिये ले जा रहे थे। मै और विजय यादव स्कार्पियो से पिकप के आगे आगे रेकी करते हुए गाय व बछडो को बिहार तक पहुचाने का काम करते है। आज सुबह इसी पिकप से हम लोग एक बार गोवंश बिहार बार्डर तक पहुँचा कर वापस आ गये थे और फिर गाय व बछडो लादकर वही ले जा रहे थे कि आप लोगो द्वारा पकड लिया गया। इनको बेचकर हम लोगो को अच्छे पैसे मिल जाते है। जिससे हम लोग अपना जिवकोपार्जन व शानोशौकत पूरा करते है।

अभियुक्त के पास से बरामदगी-

1. 04 राशि गोवंश जिसमे से 02 राशि गोवंश गाय व 02 राशि गोवंश बछडा
2. एक अदद पिकअप वाहन पिकअप महिन्द्रा,सफेद कलर, वाहन नम्बर UP 65 PT 8631
3. एक अदद महेन्द्रा स्कार्पियो बरंग सफेद वाहन बिना नंबर के

गिरफ्तारी का स्थान,दिनांक व समयः- दिनांक 14.12.2025, स्थान- लौटूबीर अण्डरपास से कुछ आगे मलहिया की तरफ आगे बढकर सर्विस लेन के पास, समय 23.55 बजे।

आपराधिक इतिहास/अभियोग विवरण-

अभिषेक यादव पुत्र भाईराम यादव नि0- मिसिरपुर थाना रोहनिया वाराणसी उम्र करीब 19 वर्ष	**1.** मु0अ0सं- 0521/2025 धारा 3/5(A)/5 (B)/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना लंका कमि0 वाराणसी **2.** मु0अ0सं0- 161/24 धारा 3/25 आर्म्स् एक्ट व 411/413 आईपीसी थाना मुगलसराय चन्दौली **3.** मु0अ0सं0- 119/25 धारा 3/5ए/8 गौ हत्या अधिनियम व 11(1)E पशु क्रुरता अधिनियम थाना मलवा फत्तेपुर
विजय यादव उर्फ टिल्लू पुत्र दयालू यादव नि0- छिमिया थाना मुगल सराय जिला चन्दौली उम्र करीब 27 वर्ष	**1.** मु0अ0सं- 0521/2025 धारा 3/5(A)/5 (B)/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना लंका कमि0 वाराणसी **2.** मु0अ0सं0- 44/17 धारा 3/5(A)/5 /8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 307 आईपीसी थाना अदलाहट मिर्जापुर। **3.** मु0अ0सं0- 314/17 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना अदलाहट मिर्जापुर। **4.** मु0अ0सं0- 249/24 धारा 3/5(A) /8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना अलीनगर चन्दौली **5.** मु0अ0सं0- 161/24 धारा 3/25 आर्म्स् एक्ट व 411/413 आईपीसी थाना मुगलसराय चन्दौली
मोहम्मद अफरोज शाह पुत्र मोहम्मद साहबजान नि0- सुल्तानपुर रामनगर थाना रामनगर वाराणसी उम्र करीब 23 वर्ष	**1.** मु0अ0सं- 0521/2025 धारा 3/5(A)/5 (B)/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना लंका कमि0 वाराणसी

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजकुमार थाना लंका कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 गौरव कुमार चौकी प्रभारी रमना थाना लंका कमिश्नरेट वाराणसी।
3. हे0का0 विनय कुमार सिंह थाना लंका कमिश्नरेट वाराणसी।
4. का0 आलोक कुमार थाना लंका कमिश्नरेट वाराणसी।
5. का0 रामबाबू मिश्रा थाना लंका कमिश्नरेट वाराणसी।
6. का0 धर्मेन्द्र यादव थाना लंका कमिश्नरेट वाराणसी।
7. का0 अमित शुक्ला थाना लंका कमिश्नरेट वाराणसी।
8. का0 कृष्णकान्त पाण्डेय थाना लंका कमिश्नरेट वाराणसी।
9. का0 सुरज सिंह थाना लंका कमिश्नरेट वाराणसी।
10. का0 पवन कुमार थाना लंका कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त काशी जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।